न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 146/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/ केम्प–बूंदी
दायरा दिनांक 25.9.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

नारायण सिंह आ0 समर सिंह जाति राजपूत निवासी मालवीय नगर पुलिस लाईन के पीछे बूंदी तहसील व जिला बूंदी।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 12.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं. 61/अपील/2019 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान नारायण सिंह बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 2.9.2020 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम छावनी के ख0 नं0 224 रकबा 8 बीघा किस्म गै0मु0 खाल पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल चना काश्त करने व अपीलार्थी पश्चातवर्ती व आदतन अतिक्रमी की श्रेणी मे होने से प्रकरण सं0 561/2018 सरकार बनाम नारायण सिंह मे दिनांक 15.2.2018 को निर्णय पारित कर 1000/–रू0 शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। तहसीलदार बूंदी के उक्त निर्णय को निरस्त करने हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2.9..2020 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट न्यायालय, जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.9.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि तहसीलदार बूंदी ने अपने निर्णय मे अपीलांट के पिता का नाम समन्द्रसिंह तथा निवासी छावनी अंकित किया है जबकि अपीलांट मालवीय नगर बूंदी तहसील व जिला बूंदी मे रहता है तथा अपीलांट के पिता का नाम भी समर सिंह है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को तामील कराये बिना निर्णय पारित किया है। उक्त तथ्यों पर प्रथम अपीलेट न्यायालय ने गौर नहीं किया। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर भी गौर नही अपील विषयक भूमि अथवा उसके किसी भाग पर अपीलार्थी का कब्जा नही है तथा ना ही भूमि बावत शास्ति व राजस्व की कोई राशि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

बकाया नही है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश मे रकबा 4 बीघा होने बावत तथ्य अंकित किये है जबकि 8 बीघा पर अतिक्रमी होने बावत कार्यवाही की गई है। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस की तामील कराये बिना निर्णय पारित किया गया है विधि के प्रावधानों के विपरीत है। बहस मे यह भी बताया कि तह0 ने अपने निर्णय मे अपीलांट के पिता का नाम समन्द्रसिंह तथा निवासी छावनी अंकित किया है जबकि अपीलांट मालवीय नगर बूंदी मे रहता है तथा अपीलांट के पिता का नाम भी समर सिंह है। उक्त तथ्यों पर प्रथम अपीलेट न्यायालय ने गौर नहीं किया। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर भी गौर नही अपील विषयक भूमि अथवा उसके किसी भाग पर अपीलार्थी का कब्जा नही है तथा ना ही भूमि बावत शास्ति व राजस्व की कोई राशि बकाया नही है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश मे रकबा 4 बीघा होने बावत तथ्य अंकित किये है जबकि 8 बीघा पर अतिक्रमी होने बावत कार्यवाही की गई है। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित नही है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरकारी भूमि किस्म गै.मु. खाल है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ऐसी भूमिया राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है तथा जल बहाव के कारण सार्वजनिक महत्व की भूमियां होती है जिस पर किसी व्यक्ति का कब्जा किसी भी रूप मे उचित नही माना जा सकता। उक्त भूमि पर अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है, क्योंकि पूर्व मे अपीलार्थी को तहसील की मिसल नम्बर 2502/17 निर्णय दिनांक 21.11.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने प्रकरण मे दिनांक 15.2.2018 को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 1.2.2018 को विधिवत नोटिस दिया गया, जिस पर स्वंय अपीलांट की तामील होना अंकित है ऐसी स्थिति मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट का प्रश्नगत अपील प्रकरण मे यह मुख्य तर्क कि "तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस की तामील कराये बिना निर्णय पारित किया है"। आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख उपरोक्त विवेचित तथ्यो तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर

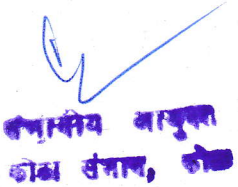

ही समस्त तथ्यों के मध्यनजर दिनांक 15.2.2018 को निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने भी प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय 2.9.2020 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे परीक्षण न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है।

8 परिणामस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 12.2..2021 को केम्प कोर्ट बूंदी मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

12/2/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा